



उत्तर रेलवे / NORTHERN RAILWAY
मुरादाबाद मंडल / MORADABAD DIVISION



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कार्मिक शाखा, मुरादाबाद / DRM's Office, Personnel Branch, Moradabad
WWW.NR.INDIANRAILWAYS.GOV.IN→DIVISIONS→MORADABAD DIVISION→PERSONNEL

Letter No- LW/AD/MH-2023-24

दिनांक- 19.11.2025

All Concerned
As per List attached

Sub:- STAFF BENEFIT FUND, (Moradabad Division) Engagement of "Ayurvedic & Homeopathic"
Practitioner in Northern Railway, Moradabad on contractual basis (Part-time, on honorarium basis) for
Unreserved candidate.SC/ST, OBC candidate can also apply.

Applications are invited for engagement of Part-time Medical Practitioners on contractual basis (honorarium basis) in Northern Railway, Divisional Hospital, Moradabad for one post of Ayurvedic Practitioners & one post of Homeopathic Practitioner in the following system of Indigenous Medicine on honorarium basis under the aegis of Divisional Staff Benefit Fund (DSBF) Committee, Moradabad Division on the under mentioned terms and conditions:-

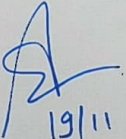
Ayurvedic Practitioner	Homeopathic Practitioner
(i) 04 years Bachelor Degree/diploma BAMS from recognized university/statutory state board/council/faculty of Indian Medicine central council Act, 1970(48 of 1970). (ii) Enrolment on the central Register of Indian Medicine or a state Register of Indian Medicine. (iii) Minimum 05 years experience in the field of Ayurvedic medicine and treatment is required. [E(W)89/WE 1-15 dated 3.10.1989 (RBE No.250/89)]	(i) Degree BMS (Homeopathy)/ DHM/DHS/DMS Homeopathy, BMBS/04 years diploma in MHMS/Degree in GSMS from of board/council/faculty of Indian Medicine central council Act, 1970 (48 of 1970). recognized university/statutory state plus also completed internship (ii) Enrolment on the central Register Indian Medicine or a state Register of Indian Medicine. (iii) Diploma holders should have at least 1.5 working years experience. [E(W)2012/PNM/NFIR/5 dated 24.1.2014 (RBE No.13/2014)]

- (1) No. of Post- 02 (01 Ayurvedic & 01 Homeopathy)
- (2) Honorarium Rs.37,500/- per month
- (3) Working Hrs- 4 hrs daily (During working hours of Railway Hospital)
- (4) The practitioners will be engaged by the Divisional Staff Benefit Fund committee, Northern Railway/Moradabad Division and he/she shall not be considered as Railway employee. His/her engagement shall be on purely temporary basis for a period of ONE YEAR
- (5) The above doctor will be appointed on a contract basis for one year only. Upon satisfactory performance, the term may be extended for another one-one year upon the orders of the Chairman, SBF. This extension is only available until the age of 70. (Rly. Board L.No.E (W) 2018/ISM/8/Pt Dt. 25.07.2019)
- (6) During the duty hours, they will not attend any private patient and will not leave the hospital premises without the permission of the competent authority,
- (7) They will be required to work in Divisional Hospital Moradabad, Northern Railway. 04 Hours a day (During working hours of Railway Hospital) from Monday to Saturday on all working days.
- (8) Casual Leave of 08 (Eight) days shall be permissible to them on pro-rata basis and no other kind of leave shall be admissible.
- (9) The selection for the above posts will be held on the basis of Viva voce (walk-In interview).
- (10) Deduction on pro-rata basis shall be made from the consolidated monthly honorarium for absence not covered by Casual Leave.
- (11) No TA/DA shall be admissible to the engaged Practitioner and no expenses to join the new assignment shall be permissible. Candidates shall have to make their own arrangement for stay during the selection, if required.

A
19/11

- (12) No Railway Quarter shall be provided by the Railway Administration to the engaged Practitioner during the period of engagement.
- (13) He/She will not be treated as Railway employee and does not entitle for any privilege. admissible to a Railway employee, No medical treatment from Railway Hospital is admissible to the Practitioner or his/her family members.
- (14) No Railway Passes/PTOs shall be permissible in favour of the engaged Practitioners.
- (15) The engaged Practitioner shall not be allowed to issue any sick and fit certificate in favour of the Railway employees. Private practice shall be permitted but without hampering the normal duty in the Railways.
- (16) The age of the applicant should be less than 70 years as on 19/11/2025. Services of engaged Practitioner shall be terminated on reaching the age of 70 years or after the completion of period of engagement, whichever is earlier. Even prior to this, the services can be terminated on 14 days notice on either side. The Divisional Staff Benefit Fund (DSBF) Committee/Moradabad Division shall not be bound to assign any reason for such termination and this power may be exercised by the Chairman/DSBF Committee/MB division and the Practitioner will have no right to challenge the order of DSBF committee to this effect in any court of law.
- (17) Incomplete applications will not be entertained.
- (18) The details of notification, application form and necessary guidelines are available on www.nr.indianrailways.gov.in
- (19) Candidates fulfilling the above conditions may appear for the Walk-In interview at Chamber of Sr. DPO/ Divisional Railway Manager's Office/Moradabad, between 9:30 and 11:00 AM on the date and venue given below, along with their application form and attested copies of all original certificates/testimonials. Late arrivals will result in disqualification from the interview. The Walk-In interview will commence at 11:15 AM. on the date and venue given below.

Date	Arrival time	Interview start time	Place
23/12/2025	09:30-11:00 AM	FROM 11:15 AM	Sr. DPO chamber/Divisional Railway Manager's Office/Moradabad/Northern Railway


19/11

Divisional Personnel Officer
Northern Railway, Moradabad.

Copy to:-

01. DRM for kind information.
02. ADRM/OP And ADRM/INFRA for kind information.
03. Divl. Secy. NRMU & URMU for kind information.
04. Divl Secy. AIOBCA & AISCSTA for kind information.

(DIVISIONAL STAFF BENEFIT FUND)

Application form for the Post of "Ayurvedic, Homeopathic"
Practitioner in Northern Railway, Moradabad,

Name of the Post applied for :

Name (in BLOCK letters) :

Father's Husband's Name :

Date of Birth :

Age as on 19.11.2025 :(DD/MM/YYYY)
:

Male/Female :

Educational Qualification :

Experience in years :

Other qualification(s), if any :

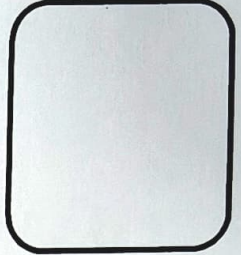
Whether belong to SC/ST/OBC :

Present Address :
:

Mobile No. :

Landline No. :

Email ID :



I hereby solemnly affirm that the information given in this application form is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that if any of the information given by me in this form is found incorrect, my candidature is liable to be cancelled at any stage without assigning any reason. I confirm that I shall abide by the decision of DSBFC Northern Railway with regard to my application. I am aware that the post I am applying is only an honorarium post and I will not claim for any regularization/permanent post in Railways.

Date :

Place :

Signature of the candidate



उत्तर रेलवे / NORTHERN RAILWAY
मुरादाबाद मंडल / MORADABAD DIVISION



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कार्मिक शाखा, मुरादाबाद /DRM's Office, Personnel Branch, Moradabad
WWW.NR.INDIANRAILWAYS.GOV.IN→DIVISIONS→MORADABAD DIVISION→PERSONNEL

Letter No- LW/AD/MH/2023-24

दिनांक - 19.11.2025

सर्व संबंधित
संलग्न सूची के अनुसार

विषय:- कर्मचारी कल्याण निधि उ.रे. के मुरादाबाद मंडल में संविदा के आधार पर (अंशकालिक, मानदेय आधारित) अनारक्षित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक व्यवसायी/चिकित्सकों का लगाया जाना जिनमे अ.जा./अ.ज.जा. /पिछडा वर्ग के आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे।

उ.रे. चिकित्सालय / मुरादाबाद में संविदा के आधार पर मानदेय आधारित अंशकालिक तौर पर एक आयुर्वेद चिकित्सक तथा एक होम्योपैथी चिकित्सक लगाया जाना है। दवा तथा मानदेय, डी.एस.बी. एफ, समिति /मुरा. के तत्वाधान में अधिलिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर होगा।

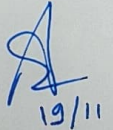
आयुर्वेद चिकित्सक	होम्योपैथ चिकित्सक
1- आवेदक के पास इंडियन मेडिसिन सेंट्रल एक्ट 1970 की धारा 48 के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ राज्य विधिक बोर्ड/काउंसिल/फैकल्टी का चार वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा।	1- आवेदक के पास इंडियन मेडिसिन सेंट्रल एक्ट 1970 की धारा 48 के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ राज्य विधिक बोर्ड /काउंसिल/ फैकल्टी की बी.एम. एस की डिग्री (होम्योपैथी) / DHM/DHS/DMS होम्योपैथी / BMBS/ 04 वर्षीय MHMS या GSMS की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इंटर्नशिप भी पूर्ण होनी चाहिए।
2- सेंट्रल रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन एवं स्टेट रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन में नामांकन।	2- सेंट्रल रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन एवं स्टेट रजिस्टर आफ इंडियन मेडिसिन में नामांकन।
3- आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं उपचार के क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। [E(W)89/WE 1-15 dated 3.10.1989 (RBE No.250/89)]	3- डिप्लोमा धारकों के पास कम से कम 1.5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। [E(W) 2012/PNM/NFIR/5 dated 24.1.2014 (RBE No.13/2014)]

- (1) पदों की संख्या- दो (01-आयुर्वेदिक, 01-होम्योपैथिक)
- (2) मानदेय - रु. 37500/- प्रतिमाह
- (3) कार्य घंटे - चार घंटे प्रतिदिन (रेलवे अस्पताल के कार्य घंटों के दौरान)
- (4) चिकित्सक को मंडल कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा लगाया जाएगा एवं उन्हें रेल कर्मी नहीं माना जाएगा। उन्हें मात्र एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से ही लगाया जाएगा।
- (5) उपरोक्त चिकित्सक को मात्र एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अध्यक्ष SBF के आदेश पर कार्यकाल पुनः एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि 70 वर्ष की उम्र तक ही बढ़ायी जा सकती है। (Rly. Board L.No.E (W) 2018/ISM/8/Pt Dt. 25.07.2019)
- (6) कार्य घंटों में वह रेल के अलावा किसी प्राइवेट मरीज को नहीं देख सकेगा, ना ही चिकित्सालय परिसर से बाहर अन्यत्र जा सकेंगे, बाहर जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना नितांत आवश्यक होगा।
- (7) सोमवार से शनिवार तक उन्हें उ.रे. चिकित्सालय, मुरादाबाद में ही चार घंटे प्रतिदिन (रेलवे अस्पताल के कार्य घंटों के दौरान) सेवाएं अर्पित करनी होंगी।
- (8) उन्हें यथानुपात आधार पर 08 (आठ) दिनों की आकस्मिक छुट्टी की अनुमति होगी और किसी अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी।
- (9) उपरोक्त पदों पर चयन मौखिक परीक्षा (Walk-In Interview) के आधार पर होगा।
- (10) अनुपस्थिति के लिए यथानुपात आधार पर समेकित मासिक मानदेय में कटौती की जाएगी। आकस्मिक छुट्टी से इसकी पूर्ति नहीं की जाएगी।
- (11) लगे हुए प्रैक्टिशनर को टी. ए./डी. ए. देय नहीं होगा और नए कार्य में शामिल होने के लिए कोई खर्च देय नहीं होगा यदि आवश्यक है तो उम्मीदवारों को चयन के दौरान ठहरने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

19/11

- (13) उसे रेलवे कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा तथा रेलवे कर्मचारी को दिए जाने वाले विशेषाधिकार का पात्र नहीं होगा। प्रैक्टिशनर या उस के परिवार के सदस्य के लिए रेलवे अस्पताल से उपचार की अनुमति नहीं होगी।
- (14) लगे हुए प्रैक्टिशनरों को रेलवे पास/पी.टी.ओ. देय नहीं होंगे।
- (15) लगे हुए प्रैक्टिशनरों को रेलवे कर्मचारियों के पक्ष में बीमार और फिट प्रमाण पत्र देने की अनुमति नहीं होगी। निजी प्रैक्टिस की अनुमति होगी लेकिन रेलवे की सामान्य ड्यूटी में बाधा डाले बिना।
- (16) आवेदनकर्ता की आयु 19/11/2025 तक 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही लगे हुए प्रैक्टिशनर की सेवाएं 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने या कार्य अवधि समाप्त होने में से जो पहले होगा पर समाप्त कर दी जाएगी। सर्विस को इससे पहले भी 14 दिन का नोटिस देकर एक तरफा समाप्त किया जा सकता है। मंडल कर्मचारी लाभ निधि (डी.एस.बी.एफ.) समिति मुरादाबाद मंडल इस तरह की समाप्ति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगी और इस शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष डी. एम. बी.एफ. समिति मुरादाबाद मंडल द्वारा किया जा सकता है और प्रैक्टिशनर को इस आशय के डी.एम.बी.एफ. समिति के आदेश को किसी भी कानूनी अदालत में चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (17) अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (18) अधिसूचना विवरण, आवेदन फॉर्म और आवश्यक निर्देश www.nr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।
- (19) उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तिथि और स्थान पर सुबह 09:30-11:00 बजे तक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुरादाबाद में वरि० मंडल कार्मिक अधिकारी के ऑफिस में अपने आवेदन पत्र और सभी मूल प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ साक्षात्कार (Walk-In) के लिए आ सकते हैं। बिलम्ब से आने पर साक्षात्कार से वंचित कर दिया जायेगा। साक्षात्कार (Walk-In) की शुरुआत नीचे दी गई तिथि एवं स्थान पर सुबह 11:15 बजे से होगी।

दिनांक	पहुँचने का समय	साक्षात्कार शुरू होने का समय	स्थान
23/12/2025	09:30-11:00 AM तक	11:15 AM से	वरि० मंडल कार्मिक अधिकारी का ऑफिस /मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/मुरादाबाद/उ० रे०


19/11

मंडल कार्मिक अधिकारी
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद

प्रतिलिपि :-

01. DRM महोदय को सूचनार्थ।
02. ADRM/OP & ADRM/INFRA को सूचनार्थ।
03. Divl. Secy. NRMU & URMU को सूचनार्थ।
04. Divl Secy. AIOBCA & AISCSTA को सूचनार्थ।

(कर्मचारी कल्याण निधि)

उ.रे/ मुरादाबाद में आयुर्वेदिक/होम्योपैथी प्रैक्टिशनर पद हेतु आवेदन पत्र



पद जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं :

नाम :

पिता/पति का नाम :

जन्मतिथि :

19.11.2025 को आयु :/...../..... (दिन/माह/वर्ष)

पुरुष/महिला :

शैक्षणिक योग्यता :

अनुभव वर्षों में :

अन्य योग्यता, यदि कोई हो :

क्या अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा-

वर्ग से सम्बन्धित है :

वर्तमान पता :

मोबाइल संख्या :

लैंडलाइन फोन संख्या :

ई-मेल का पता :

मैं एतद द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही है। मैं यह भली भाँति समझता हूँ कि इस फॉर्म में दी गयी जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो मेरा अभ्यावेदन किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। मैं यह बचन देता हूँ कि मैं इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में डी. एस. बी. एफ. सी. के निर्णय से सहमत रहूँगा। मैं यह भी जानता हूँ कि यह पद पूरी तरह से अवैतनिक (Honorary) है और इस पद पर रहते हुए भविष्य में नियमितिकरण/स्थाईकरण के लिए रेल से दावा नहीं किया जाएगा।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर